अध्याय-8

(विविध सुरक्षण)

विविध शिकायतें

आयोग को विविध प्रकार की शिकायतें भी प्राप्त होती हैं जिनका सम्बन्ध संविधान के अन्तर्गत दिए गए अ०जा०/अ०ज०जा० के किसी विशेष सुरक्षण अथवा अधिकार, सरकार के कानून या आदेश के उल्लंघन से नहीं होता वरन् उनमें ऐसे मामले होते हैं जिनमें शिकायतकर्ताओं को कोई परेशानी या असुविधा होती है या शिकायतकर्ता किसी प्रकार की सहायता मांगते हैं। 1993-94 के दौरान आयोग को विविध प्रकार की शिकायतों सहित लगभग तीन सौ याचिकाएं प्राप्त हुई, जिनमें सतासी मामले समुचित कार्यवाही किए जाने के लिए उपयुक्त पाए गए। इन याचिकाओं में सामुदायिक सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की प्रार्थना, कल्याण योजनाओं के विस्तार और बकाया की अदायगी न किए जाने, अ०जा०/अ०ज०जा० के व्यक्तियों के लिए प्रस्तावित सेवाएं उपलब्ध न होने आदि से सम्बन्धित अ०जा०/अ०ज०जा० के व्यक्तियों के सामने आने वाली समस्याओं के मामले शामिल थे। इन शिकायतों की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नलिखित पैराग्राफों में दी जा रही है:

8.2 उन्नीस मामले ऐसे प्राप्त हुए जिनमें वित्तीय सहायता मांगी गई थी। इनमें से अधिकांश मामले मकान का निर्माण करने, अ०जा०/अ०ज०जा० को वित्तीय सहायता देने, आग लगने से हुई सम्पत्ति की हानि की क्षतिपूर्ति करने, उच्चतर शिक्षा, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता देने, ग्रामीण अथवा लघु उद्योग स्थापित किए जाने आदि से सम्बन्धित थे। इन सभी मामलों को आवश्यक कार्यवाही के लिए सम्बन्धित अधिकारियों के साथ उठाया गया है। इसके अतिरिक्त आयोग को सामुदायिक सेवाओं से सम्बन्धित चौदह मामले भी प्राप्त हुए, जिनमें से पांच का सम्बन्ध समितियों के क्रियाकलाप, सफाई व्यवस्था और अ०जा०/अ०ज०जा० को मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के बारे में था। इन मामलों के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क किया गया है। बहुत से मामलों में उत्तर की प्रतीक्षा है। चार मामले अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए नलकूप खोदने, अस्पताल की सुविधाएं दिए जाने, विश्राम गृह स्थापित किए जाने और अ०ज०/अ०ज०जा० के विकास की समस्याओं से सम्बन्धित थे। इन सभी मामलों को सम्बन्धित अधिकारियों के साथ उठाया गया।

8.3 विभिन्न राज्यों/सं०शा०क्षे० के अ०जा०/अ०ज०जा० के अभ्यावेदनकर्ताओं से अ०जा०/अ०ज०जा० की कल्याण योजनाओं से सम्बन्धित मामले भी आयोग में प्राप्त हुए। इनमें से अधिकांश अभ्यावेदन कर्जा माफ किए जाने या कर्ज की सीमा बढ़ाए जाने के बारे में थे। इन मामलों के बारे में भी सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क किया गया है। एक मामले में सम्बन्धित प्राधिकारी ने सूचित किया कि प्रार्थी कर्जा माफ किए जाने का हकदार नहीं था। कर्जे की अधिकतम सीमा बढ़ाने के एक अन्य मामले में आयोग ने कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि प्रार्थी ने कर्जे की अधिकतम सीमा बढ़ाने के लिए बैंक अधिकारियों से प्रार्थना की थी। आयोग का विचार था कि ऐसा करना आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता।

8.4 अनुसूचित जाति के एक एल०पी०जी० डीलर पर लगाई शास्ति के बारे में भी एक मामला प्राप्त हुआ। इस मामले में एल०पी०जी० के मालिक, अर्थात्, मै० भारत पैट्रोलियम लि० से सम्पर्क किया गया। कम्पनी ने सूचित किया कि डीलर कदाचरण में अंतर्ग्रस्त था और अनियमित अनधिकृत गैस कनेक्शन दे रहा था और इसी कारण उसे शास्ति से दण्डित किया गया था। आयोग को इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई कारण दिखाई नहीं दिया।

8.5 अन्य मामले जो प्राप्त हुए वे अ०जा०/अ०ज०जा० के व्यक्तियों को बिजली का कनेक्शन देने, भूमि का आबंटन करने आदि विषयों से सम्बन्धित थे। इन प्रार्थनाओं के बारे में समुचित कार्यवाही के लिए सम्बन्धित अधिकारियों से कहा गया है यद्यपि ये मामले किसी सुरक्षण या अधिकार के उल्लंघन के मामले नहीं हैं।

8.6 चार मामले उच्च जाति के लोगों द्वारा अ०जा० के व्यक्तियों की दुकानों पर अवैध और जबरन कब्जा करने के बारे में प्राप्त हुए। इनमें एक मामला न्यायालय के विचाराधीन था। अन्य मामले उपयुक्त कार्यवाही के लिए सम्बन्धित अधिकारियों के पास भेज दिए गए।

8.7 आयोग को अ०जा०/अ०ज०जा० की सामान्य समस्याओं से सम्बन्धित 22 याचिकाएं प्राप्त हुई। इनमें से अधिकांश मामले अ०जा०/अ०ज०जा० को परेशान किए जाने के आरोपों से सम्बन्धित थे, जैसे वेतन न देना, और कुछ अ०जा०/अ०ज०जा० की विकास की समस्याओं आदि से सम्बन्धित थे। ऐसे सभी मामलों को समुचित कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों अथवा सम्बन्धित अधिकारियों के पास भेज दिया गया। इनमें एक मामला शामिल नहीं था जो कि आयोग के कार्यक्षेत्र के बाहर का मामला था। उपरोक्त मामलों में अन्तिम उत्तर की अभी तक प्रतीक्षा है।

8.8 अ०जा०/अ०ज०जा० के व्यक्तियों को पीने के पानी की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में भी दो याचिकाएं प्राप्त हुई। दोनों मामलों में समुचित कार्यवाही के लिए सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क किया गया।

8.9 मध्य प्रदेश में कथित रूप से मलेरिया से जनजातीय व्यक्तियों की मृत्यु होने का मामला भी आयोग में प्राप्त हुआ। यह निश्चित नहीं किया जा सका कि मौतें मलेरिया के कारण हुई थीं या दूसरी बीमारियों और बुढ़ापे के कारण हुई थीं। तथापि, राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि इन आदिम जनजातियों के लिए संघटित कार्यक्रम तैयार किए जाएं क्योंकि ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उनके लिए बहुत कुछ किया गया है।

8.10 एक शराब का गोदाम हटाने से सम्बन्धित मामला प्राप्त हुआ। इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट से प्रार्थना की गई।

8.11 एक अ०जा० के व्यक्ति की लड़की को नौकरी देने के बहाने उससे धोखाधड़ी करने की शिकायत भी प्राप्त हुई। प्रार्थी को स्थानीय पुलिस के पास जाने की सलाह दी गई।

8.12 प्राप्त की गई एक अन्य याचिका अ०जा० की बस्ती में सफाई रखने के विषय से सम्बन्धित थी। जिला कलैक्टर से समुचित कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई।

8.13 एक अ०जा० व्यक्ति की यात्रा एजेंसी रद्द किए जाने के बारे में एक मामला प्राप्त हुआ। इस मामले में सम्बन्धित प्राधिकरण (इंडियन एयरलाइन्स) से सम्पर्क किया गया और पता लगा कि प्रार्थी स्वयं कदाचरण में अंतर्ग्रस्त था और आयोग द्वारा आगे कार्यवाही करने का प्रथम दृष्टि में कोई मामला दिखाई नहीं दिया।

पैट्रोलियम उत्पादों के लिए वितरक एजेंसियों/डीलरशिप का आवंटन करने में अधिमान्यता

8.14 जनसंख्या के आंकड़ों से पता चलता है कि प्रत्येक चार भारतीयों में से एक या तो अनुसूचित जाति का है या अनुसूचित जनजाति का है। सबसे गरीब वर्गों में अ०जा० और अ०ज०जा० के लोगों की संख्या सबसे अधिक है और इसलिए, सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली अनेक योजनाओं और उपायों को उन्हीं पर केन्द्रित किया जाना चाहिए। अ०जा० और अ०ज०जा० का समता की दिशा में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन मुख्यत: उनके आर्थिक विकास के द्वारा ही हो सकता है। अत: यह पूर्णत: उपयुक्त है कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनता के कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के कार्य में राज्य सक्रिय रूप से भाग ले, संविधान में विशिष्ट प्रावधानों को समाविष्ट किया।

8.15 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में शामिल किए गए अनुच्छेद 46 में कहा गया है : "राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।"

8.16 अनुच्छेद 15(4) के अन्तर्गत राज्य को नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों अथवा अनुसूचित जातियों और जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष उपबन्ध करने की शक्ति दी गई है।

8.17 देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए किए गए प्रयत्नों के परिणामस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ है जिसका कारण मूलत: यह है कि यह समस्या बहुत विशाल है। आज भी, शहरी क्षेत्रों में, संसाधनों की कमी के कारण अधिकांश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उनमें गरीबी है और कार्य के तरीके पुराने होने के कारण उन्हें अपने पारम्परिक व्यवसायों से बहुत कम लाभ होता है। देश के तेजी से बदलते आज के आर्थिक परिदृश्य में अनेक पारम्परिक व्यवसायों का स्थान नए व्यवसाय ले रहे हैं। व्यापार के सरल तरीके का स्थान उत्पादन और वितरण की जटिल प्रणाली ले रही है। पहले से ही अ०जा० और अ०ज०जा० के व्यक्तियों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनके कारण वे समृद्धि प्राप्त नहीं कर पाते और परिणामत:, लोकतांत्रिक और कल्याणकारी समाज के सदस्यों के रूप में समृद्ध नहीं हो पाते और आर्थिक प्रगति के लाभों का समान हिस्सा प्राप्त करने से वंचित रहने के कारण, सामाजिक समानता से भी वंचित रह जाते हैं। अ०जा०/अ०ज०जा० के पक्ष में व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्रों में उनका समर्थन करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। ऐसा एक क्षेत्र जिसमें उनको समर्थन प्रदान किया जा सकता है उन वस्तुओं का है जिन पर राज्य का नियंत्रण है। राज्य उन्हें इन वस्तुओं का डीलर बनाकर उन्हें समर्थन प्रदान कर सकता है।

8.18 सितम्बर 1977 में तत्कालीन पैट्रोलियम, उर्वरक और रसायन मंत्रालय ने डीलरों की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 25% आरक्षण की व्यवस्था की थी। सितम्बर 1977 से जून 1980 तक सभी वर्गों से डीलरों की नियुक्ति के लिए समान विज्ञापन निकाला जाता था जिनमें से, अन्य बातें बराबर होने पर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आवेदकों को अधिमान्यता दी जाती थी। जून 1980 में मंत्रालय ने मार्गनिर्देशों में संशोधन कर दिया और यह अपेक्षा की गई कि जिन स्थानों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को डीलर नियुक्त किया जाएगा उनका उद्योग द्वारा पूर्व निर्धारण किया जाए और इसके लिए राज्यवार रोस्टर तैयार किया जाए। पैट्रोलियम से सम्बद्ध कारोबार में चार सार्वजनिक क्षेत्र के निगम संलग्न हैं जिनके नाम हैं:—इंडियन आयल कार्पोरेशन लि०, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम लि०। ये चार निगम पैट्रोल, डीज़ल, बढ़िया किस्म के मिट्टी के तेल और एल०पी०जी० आदि के लिए डीलरों/वितरण एजेंसियों की नियुक्ति करते हैं। डीलरों की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को 25% आरक्षण मिलता है।

8.19 इसके अतिरिक्त, इस बात को देखते हुए कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड और मिजोरम में अधिकांश आबादी अनुसूचित जनजातियों की है, इन राज्यों में डीलर आदि की नियुक्ति में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रतिशत राज्य की आबादी में अनुसूचित जनजातियों के अनुपात में रखा जाता है जिसे निकटतम दस के अंक तक पूर्णांकित किया जाता है। प्रत्येक राज्य के लिए रखा गया आरक्षण का प्रतिशत नीचे दिया गया है :

सारणी—1

राज्य	अ०ज०जा० को डीलरों की नियुक्ति में दिए जाने वाले आरक्षण का प्रतिशत	खुले वर्ग का प्रतिशत
अरुणाचल प्रदेश	70	30
मेघालय	80	20
नागालैण्ड	80	20
मिजोरम	90	10

स्रोत : 1-1-93 तक अद्यतन किए गए डीलरों और वितरकों के चयन के लिए नीति सम्बन्धी मार्गनिर्देश

8.20 नीति के अनुसार प्रत्येक राज्य/सं०शा०क्षे० में सभी श्रेणियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए परिक्रमण के आधार पर 100 सूत्री विपणन योजना स्वीकार की गई है।

8.21 नीति में यह भी कहा गया है कि यदि किसी वर्ष विशेष में कोई आरक्षण समाप्त करने की आवश्यकता पड़ती है तो परवर्ती विपणन योजनाओं में उतनी ही संख्या में ''खुली'' श्रेणी के स्थलों को सम्बन्धित ''सामाजित उद्देश्य'' नामक श्रेणी में परिवर्तित करके आवश्यक समायोजन किया जाएगा।

8.22 इंडियन ऑयल कार्पोरेशन ने ''बी'' स्थल के खुदरा बिक्री केन्द्रों, अर्थात् डीलर के स्वामित्व वाले और डीलर द्वारा संचालित बिक्री केन्द्रों को छोड़कर अपनी सभी एजेंसियों/डीलरों की नियुक्ति के लिए आरक्षण के आदेशों का वर्ष 1974 से कार्यान्वयन शुरू कर दिया। अन्य कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण बाद में हुआ और उन कम्पनियों में डीलरों की नियुक्ति के लिए आरक्षण 23-9-77 से ही प्रभावी हुआ।

8.23 सरकार ने पेटोलियम उत्पादों के डीलरों की नियुक्ति के लिए कोटा आवंटन में आरक्षण देना स्वीकार कर लिया है। इस विषय में पहला कदम यह होगा कि इन अवसरों के बारे में सूचना उन अ०जा० और अ०ज०जा० के व्यक्तियों को मिले जो वास्तव में उसके लाभार्थी होने के लिए समर्थ होंगे। एजेंसी की शर्तों में भी समुचित परिवर्तन करना आवश्यक होगा। प्रत्येक मामले में सामान्य सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र में एजेंसी की शर्तें भिन्न रखी जा सकती हैं ताकि एजेंसियां लेने के समर्थ उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में सामने आ सकें। विशेषकर, अपेक्षाकृत अधिक पिछड़े क्षेत्रों के लिए ढीली की गई शर्तें भी काफी कड़ी हो सकती हैं। इसलिए, सहायता की एक ऐसी प्रणाली अपनाई जानी चाहिए, चाहे वह प्रत्यक्ष सहायता के रूप में हो या अन्य संस्थाओं के सहयोग से हो, जिसमें वे व्यक्ति भी इस व्यापार में प्रवेश कर सकें जिनके पास अपने कोई संसाधन नहीं हैं। जब कोई अ०जा०/अ०ज०जा० का व्यक्ति एजेंसी ले तो उसे व्यापार के इस क्षेत्र में, जो उसके लिए अनजान क्षेत्र है, उसमें स्वयं को स्थिर बनाने में मदद की जानी चाहिए। उपरोक्त तरीके को सावधानीपूर्वक संस्थाओं/सरकार द्वारा अपनाया जाता है। इस तरह सांविधानिक दायित्व का पूरी तरह निर्वहन हुआ है।

8.24 यह देखा गया है कि कुछ मामलों में अ०जा०/अ०ज०जा० व्यक्तियों को आबंटित की गई एल०पी०जी० एजेंसियां ऐसे कारणों से समाप्त कर दी गई जिन्हें सम्भवत: पूर्णत: न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। पहले तो आरक्षण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अ०जा०/अ०ज०जा० को डीलर नियुक्त किया जाता है और एजेंसी दी जाती है। कुछ समय बाद किसी तुच्छ आधार पर एजेंसी को वापिस ले लिया जाता है जिससे प्रकट होता है कि उन्हें समाज के कमजोर वर्गों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। यद्यपि हम यह जानते हैं कि अ०जा०/अ०ज०जा० के ये लाभार्थी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में से अपेक्षाकृत अच्छे वर्ग के होते हैं लेकिन जब अपेक्षाकृत बेहतर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले इन अ०जा०/अ०ज०जा० के व्यक्तियों को ही इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो जो लोग आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं उनकी क्या दशा होगी इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। इन मामलों में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अ०जा०/अ०ज०जा० के सामने उठने वाली इन समस्याओं में से कुछ समुदाय के प्रति अन्तर्भूत विद्वेष की भावना के कारण होती हैं।

8.25 सम्बन्धित मंत्रालय को वितरण के कार्य से सम्बन्धित एजेंसियों के लिए आरक्षण के कार्यकरण की समालोचनात्मक पुनरीक्षा करवाने की ओर ध्यान देना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि आरक्षण के इन आदेशों का पूरी तरह से कार्यान्वयन हो। सम्बन्धित प्राधिकरण को आरक्षण की व्यवस्था का प्रभावी अनुवीक्षण करना चाहिए। इन आदेशों का कार्यान्वयन न किए जाने से सम्बन्धित सभी शिकायतों/अभ्यावेदनों पर शीघ्रता से ठीक-ठीक कार्यवाही करनी चाहिए। अ०जा०/अ०ज०जा० के हितों और उनके हालातों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

8.26 पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पत्र भेजकर यह कहा है कि एल०पी०जी०; एच०एस०/एच०एस०डी०, बी०के०ओ० ल्यूब आदि को खुले माल के रूप में या सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा पैक किए हुए माल के रूप में सारे माल का सड़क द्वारा परिवहन करने के लिए ट्रक लगाने के काम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया जाएगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अखिल भारतीय आधार पर क्रमश: 15% और 7½% आरक्षण होगा। लेकिन अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों को निविदा की सभी शर्तें पूरी करनी होंगी और वे मूल्य में किसी प्रकार की अधिमान्यता या मानकों को किसी प्रकार शिथिल किए जाने के अधिकारी नहीं होंगे। यदि किसी वर्ष विशेष में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी उपलब्ध नहीं होते तो उस वर्ष न भरा गया कोटा अनारक्षित श्रेणियों को दिया जा सकता है। तथापि, न भरा गया कोटा अगले टैंडर के लिए रखा जा सकेगा और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों को दिया जा सकेगा। यदि पिछले टैंडर का कोटा अगले टैंडर में भी नहीं भरा जाता तो पिछले टेंडर का न भरा गया कोटा अनारक्षित किया जा सकता है और सामान्य श्रेणियों को आबंटित किया जा सकता है। आरक्षण की यह नीति 18-8-1994 से प्रवर्तित की जानी थी और तेल कम्पनियों द्वारा भविष्य में किए जाने वाले परिवहन के सभी करारों पर लागू की जानी थी।

8.27 वर्ष 1993-94 के दौरान (1-4-94 तक) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को मंजूर की गई डीलरशिप/एजेंसियों की संख्या से सम्बन्धित पैट्रोलियम मंत्रालय से प्राप्त सूचना नीचे दी जा रही है :

सारणी—2

उत्पाद	अ.जा.	अ.ज.जा.	जोड़
1. खुदरा बिक्री केन्द्र पैट्रोल/डीज़ल पम्प	774 (5.02%)	266 (1.72%)	15,413
2. एस.के.ओ./एल.डी.ओ.	287 (4.74%)	152 (2.54%)	6,053
3. एल०पी०जी०	478 (11.13%)	183 (4.26%)	4,292

स्रोत : पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का दिनांक 18-8-94 का पत्र सं० पी-17011/4/94-मार्केट।

8.28 इन आंकड़ों से प्रकट होता है कि डीलर/वितरक नियुक्त करने के लिए दिया गया आरक्षण एक भी वर्ग में पूरा नहीं हुआ है।

8.29 वितरण के काम में एजेंसी/डीलर की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व कम होने का कारण यह है कि अ०जा०/अ०ज०जा० के ऐसे अर्हता प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं जिनकी वित्तीय पृष्ठभूमि अच्छी हो और जिनमें प्रत्येक क्षेत्र के सम्बन्ध में अनुभव, ज्ञान, प्रतिभा, निष्ठा, रुचि आदि बातें हों।

आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन

8.30 एल०पी०जी० की डीलरशिप/एजेंसी के आबंटन के बारे में आयोग को ग्यारह अभ्यावेदन प्राप्त हुए। सात मामलों में अभ्यावेदन करने वालों ने यह प्रार्थना की थी कि उन्हें डीलर बनाये जाने के लिए आयोग द्वारा सिफारिश की जाए। जब तक अ०जा०/अ०ज०जा० को दिए गए आर्थिक या किसी प्रकार के सुरक्षण के उल्लंघन/वंचित किए जाने का कोई पैच आधार नहीं आता तब तक केवल डीलरशिप/एजेंसियां मंजूर करने के मामलों की सिफारिश करना आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं है। चार मामलों में अधिकारियों से सम्पर्क किया गया है।

8.31 एक मामले में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बिजनौर में ता० 25-3-1987 को इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि० की गैस एजेंसी मिली थी जिसे मार्च 1993 में छः वर्ष पूरे हो गए। उसने आयोग को अभ्यावेदन दिया था कि उन्हें 2000 सिलेंडरों का आबंटन किया गया है और वे चाहते हैं कि प्रतीक्षा सूची पूरी करने के लिए उन्हें 1700 नए गैस कनेक्शन दिए जाएं।

8.32 आयोग ने इस अभ्यावेदन को ता०16-6-93 को इंडियन ऑयल के अधिकारियों को अग्रेषित कर दिया।

8.33 उनकी ओर से 31-10-94/31-3-95 तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

8.34 एक अन्य मामले में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अ०जा० श्रेणी में से सितम्बर 1980 में एल०पी०जी० की डीलरशिप का आबंटन किया गया था। उस व्यक्ति ने अपने अभ्यावेदन में शिकायत की थी कि उसे अनुसूचित जाति का होने के कारण एल०पी०जी० के वितरण के मामले में परेशान किया जा रहा है। इस मामले में हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि० से सम्पर्क किया गया जिन्होंने जवाब दिया कि शिकायतकर्ता ने गम्भीर अनियमितताएं की थीं और उसे शास्ति से दण्डित किया गया था। उन्होंने यह भी स्पष्टीकरण दिया कि उस व्यक्ति ने अप्रतिसंहरणीय मुख्तारनामा लिखकर डीलरशिप का कार्य एक गैर-अ०जा० व्यक्ति को अनाधिकृत रूप से हस्तांतरित कर दिया था जिसके लिए उसने कार्पोरेशन का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया था। ऐसी परिस्थिति में आयोग इस मामले में आगे हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं था क्योंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिए गए किसी सुरक्षण का उल्लंघन नहीं हुआ था।

8.35 आयोग का विचार है कि वितरण की एजेंसियां आरक्षण के द्वारा मंजूर करके अ०जा०/अ०ज०जा० को व्यापार के क्षेत्र में स्थापित होने का अवसर देने का सरकार का मंतव्य पूरा नहीं हो रहा है। इसके अनेक कारण हैं जिनमें एक कारण यह भी है कि अ०जा०/अ०ज०जा० में जानकारी, ज्ञान और आत्म-विश्वास का अभाव है।